वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 30

व्यय विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	23.16	23.16	...	21.81	21.81	0.20	23.62	23.82
पूंजी		*2.98*	*1.00*	*3.98*	*2.06*	*0.40*	*2.46*	*5001.30*	*3.25*	*5004.55*
जोड़		**2.98**	**24.16**	**27.14**	**2.06**	**22.21**	**24.27**	**5001.50**	**26.87**	**5028.37**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	20.97	20.97	...	18.96	18.96	...	21.29	21.29
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
2. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध सोसायटी संस्थान को सहायता अनुदान	2070	...	1.40	1.40	...	1.40	1.40	...	1.40	1.40
3. विशेष श्रेणी के राज्यों के अधिकारियों को प्रशिक्षण	2070	...	...	...	...	...	...	0.20	...	0.20
4. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	2070	...	0.79	0.79	...	0.77	0.77	...	0.93	0.93
5. व्यय सुधार आयोग	2070	...	...	...	...	0.68	0.68	...	...	...
6. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध सोसायटी संस्थान	4070	2.98	...	2.98	2.06	...	2.06	1.30	...	1.30
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
7. आयोजना स्कीमों एवं परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय के लिए एकमुश्त प्रावधान	5475	...	...	...	...	...	...	5000.00	...	5000.00
आवास										
8. तैयार-निर्मित रिहायशी आवासों की खरीद	4216	...	1.00	1.00	...	0.40	0.40	...	3.25	3.25
कुल जोड़		***2.98***	***24.16***	***27.14***	***2.06***	***22.21***	***24.27***	***5001.50***	***26.87***	***5028.37***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	2.98	...	2.98	2.06	...	2.06	1.50	...	1.50
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	...	...	...	...	...	...	5000.00	...	5000.00
जोड़		**2.98**	**...**	**2.98**	**2.06**	**...**	**2.06**	**5001.50**	**...**	**5001.50**

1. इसमें लेखा महानियन्त्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध सोसायटी संस्थान को सहायतानुदान देने के लिए है।

3. यह प्रावधान वित्त एवं लेखा मामलों से संबंधित विशेष श्रेणी राज्यों के अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान में पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम को निधि प्रदान करने के लिए है।

4. यह प्रावधान लेखा महानियंत्रक द्वारा सिविल लेखा विभाग के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने पर होने वाले व्यय के लिए है।

5. यह प्रावधान व्यय सुधार आयोग के लिए है।

6. यह प्रावधान पूंजीगत निर्माणकार्यों और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध सोसायटी संस्थान के विस्तार हेतु योजना के द्वितीय चरण के लिए है।

7. यह प्रावधान मंत्रालयों/विभागों की उनकी प्लान योजनाओं तथा परियोजनाओं के निधि पोषण के लिए उन्हें अतिरिक्त आवंटन करने के लिए है। अतिरिक्त आवंटन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटियों के विनिवेश के बजटीय लक्ष्य की प्राप्ति पर निर्भर है।

8. यह प्रावधान आई. सी. ए. एस. अधिकारियों के लिए सीमित विभागीय पूल का सृजन करने हेतु आवासीय भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए है।